परियोजना का नामः–जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के बनगाँव–चापड़ा–कसलाना मोटर का स्तार कार्य निर्माण हेतु 7.152 हे0 तथा उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत 3.417 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभागकोहस्तान्तरणप्रस्ताव संख्या–(FP/UK/ROAD/21335/2015).

बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र/ निरीक्षण टिप्पणी

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के लिए उत्तरकाशी वन प्रभाग के अन्तर्गत आवेदित वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु प्रस्तावित संरेखण का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, राजि आधिकारी व अधीनस्थ स्टाफ कर्मचारी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–**18.09.2018** को किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे । प्रस्तावित परियोजना में उत्तरकाशी के अन्तर्गत **3.417** हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क/ वन्य जीव अभ्यारण का हिस्सा नहीं है तथा चिन्हित संरेखण/स्थल से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है ।

प्रस्तावित परियोजना हेतु चयनित संरेखण में विभिन्न व्यास के चीड़ व बाँज प्रजाति के कुल **322** वृक्ष प्रभावित होगें । प्रभावित होने वाले बाँज वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	भूमि का प्रकार	वृक्ष प्रजाति	प्रभावित होने वाले बाँज वृक्षो का व्यासवार विवरण (सेमी0)								
			10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि	बांज	03	15	17	03	02	00	00	00	**40**

चिन्हित संरेखण में ओक मिश्रित वन **(घनत्व–0.7)** के आरक्षित वन भूमि में बाँज के **40** वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है ।

अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चिन्हित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण में उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है ।

1. मोटर–मार्ग के लिए पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये ।
2. मोटर–मार्ग के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोजल/डम्पिंग यार्ड क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाए ।
3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वन अग्निकाल के दौरान आस–पास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये ।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर–मार्ग हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीव का आखेट न होने पाये । ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
5. बाँज वनों के पातन के फलस्वरूप इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ए0एन0आर0 कार्य पारिस्थिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए अतिआवश्यक होगा । प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अतिरिक्त ए0एन0आर0 कार्यपरियोजना से लगे क्षेत्र में करायेगें । अतः प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग बाँजवनों के संवर्द्धन एवं विकास हेतु सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ANR) की स्थलविशिष्ट योजना का प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाइन भाग–2 मे अपलोड करेगें ।

(पी0के0पात्रो)
वनसंरक्षक
भागीरथीवृत्त,उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती